रांची में झारखंड के उच्च न्यायालय में

आपराधिक विविध याचिका सं. 3801/2023

मो. फड़क उर्फ फारुख अंसारी, आयु लगभग 40 वर्ष, पिता अजीज अंसारी, निवासी मस्जिद मोहल्ला, गाँव कर्कट्टा, डाकघर एवं थाना मालसिरिंग, और जिला रांची

याचिकाकर्ता

बनाम

झारखंड राज्य

विरोधी पक्ष

याचिकाकर्ता के लिए : सुश्री अपराजित भारद्वाज अधिवक्ता
सुश्री आकृति श्री, अधिवक्ता
सुश्री तान्या सिंह, अधिवक्ता

राज्य के लिएः श्री विश्वनाथ रॉय, विशेष लोक अभियोजक

उपस्थित

माननीय न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी

न्यायालय द्वाराः- दोनों पक्षों को सुना

2. यह आपराधिक विविध याचिका आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान करते हुए दायर की गई है, जिसमें दिनांकित 22.02.2019 (तत्काल आपराधिक विविध याचिका की अनुलग्नक 4 श्रृंखला) के आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया गया है, जिसके द्वारा विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वितीय, पलामू ने जी. आर. सं.83/2018 (एस. टी. सं.195/2018) के अनुरूप पनकी थाना मामला सं..05/2018 के संबंध में याचिकाकर्ता के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है और साथ ही दिनांक 17.06.2022 और 03.02.2023 (तत्काल आपराधिक अल विविध याचिका की अनुलग्नक 5 श्रृंखला) के आदेशों को रद्द करने और खारिज के लिए भी) जिसके द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की

धारा 82 के तहत घोषणा और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 83 के तहत याचिकाकर्ता सहित मामले के आरोपी व्यक्तियों की संपत्ति की कुर्की का आदेश क्रमशः पारित किया गया था।

3. मामले का. संक्षिप्त तथ्य यह है कि दिनांक 22.02.2019 को, याचिकाकर्ता की व्यक्तिगत उपस्थिति के साथ एक याचिका सी. आर. के वकील द्वारा दायर की गई थी विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-2, पलामू के समक्ष विद्वान याचिकाकर्ता के समक्ष याचिकाकर्ता मामला , पलामू। ।।, पलामू। मामला निर्णय के लिए तय किया गया था लेकिन याचिकाकर्ता को दिनांक 22.02.2019 को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए 08.02.2019 पर पिछली तारीख के आदेश से व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का कोई निर्देश नहीं था। विद्वत अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वितीय, पलामू ने याचिकाकर्ता की व्यक्तिगत उपस्थिति और उसके वकील द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने की याचिका पर कोई स्पष्ट आदेश पारित नहीं किया है। विद्वत अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वितीय, पलामू ने न तो कोई कारण बताते हुए इसे खारिज कर दिया, बल्कि याचिकाकर्ता को बी. ए. सं 3420/2018 में भी पारित किए गए पहले के आदेश 04.07.2018 को दी गई जमानत को रद्द कर दिया। हालांकि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वितीय, पलामू ने स्वयं आदेश पत्र में उल्लेख किया है कि अनुपस्थित अभियुक्त व्यक्तियों पर जारी गिरफ्तारी के गैर-जमानती वारंट की निष्पादन रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन फिर भी याचिकाकर्ता सहित अनुपस्थित अभियुक्त व्यक्तियों के संबंध में उनकी उपस्थिति के लिए कोई समय और स्थान निर्धारित किए बिना दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के तहत घोषणा जारी करने का निर्देश दिया और दिनांक 03.02.20 23 के आदेश के माध्यम से, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 83 के तहत प्रक्रिया जारी करने का आदेश पारित किया।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि निर्विवाद रूप से याचिकाकर्ता 2018 के एस. टी. सं.195 के संबंध में जमानत पर था और उसका प्रतिनिधित्व उसके वकील ने भी किया था और दिनांक 22.02.2019 को उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए कोई विशिष्ट आदेश नहीं था, बिना कोई संतोष दर्ज किए कि याचिकाकर्ता अपनी गिरफ्तारी से बच रहा है, विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ।।, पलामू ने अवैध रूप से गिरफ्तारी का गैर-जमानती वारंट जारी किया है। इसके बाद यह प्रस्तुत किया जाता है कि जहां तक दिनांकित 17.06.2022 के आदेश का संबंध है, उसे कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना और इस संतुष्टि को दोहराये बिना पारित किया गया है कि याचिकाकर्ता फरार है या बचने के लिए खुद को छिपा रहा है या अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए खुद को छिपाना जो कि उसकी गिरफ्तारी है जो कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के तहत घोषणा जारी करने के लिए और दंड प्रक्रिया संहिता तय किए बिना और उसकी उपस्थिति के लिए स्थान और समय तय किए बिना घोषणा जारी करने के लिए एक अनिवार्य शर्त है, इससे भी अधिक, जब गिरफ्तारी के गैर-जमानती वारंट की न्यायिक रिपोर्ट भी प्राप्त नहीं हुई थी। इसलिए, जाहिर है कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वितीय, पलामू के लिए रिकॉर्ड में ऐसी कोई

सामग्री नहीं थी जिससे वह संतुष्ट हो सके कि याचिकाकर्ता फरार है या अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए खुद को छिपा रहा है।

5. जहां तक दिनांक 1 के आदेश का संबंध है, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस तरह के आदेश को पारित करने के औचित्य का कोई कारण बताए बिना और कुर्क की जाने वाली संपत्ति के विवरण का उल्लेख किए बिना इसे पारित किया गया है, इसलिए यह कानून में भी टिकाऊ नहीं है। इसलिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि 2018 के जी. आर. सं. 83 (एस. टी. सं. 195/2018) के अनुरूप पंकी थाना मामला सं. 05/2018 के संबंध में विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश II, पलामू द्वारा पारित किए गए सभी तीन आदेश, जो कानून में टिकाऊ नहीं हैं, उन्हें रद्द कर दिया जाए और खारिज कर दिया जाए।

6. राज्य की ओर से पेश हुए विशेष लोक अभियोजक. ने याचिकाकर्ता की याचिका का जोरदार विरोध किया और जी. आर. सं. 83/2018 (एस. टी. सं. 195/2018) के अनुरूप 2018 के पंकी थाना मामला सं.05 के संबंध में विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश II, पलामू द्वारा पारित दिनांक 22.02.2019, 17.06.2022 और 03.02.2023 के तीन आदेशों को रद्द कर दिया और प्रस्तुत करता है कि यह तथ्य कि विद्वत अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वितीय, पलामू ने गिरफ्तारी का वारंट जारी किया, धारा 82 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत घोषणा और धारा 83 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत कुर्की का आदेश स्वयं दर्शाता है कि विद्वत अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वितीय, पलामू के लिए इस समझौते में सामग्री थी कि वह संतुष्ट हो कि इस तरह के आदेश को जारी करने के लिए औचित्य है। इसलिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह आपराधिक विविध याचिका , बिना किसी योग्यता के होने के कारण, खारिज कर दिया जाए।

7. बार में की गई प्रतिद्वंद्वी दलीलों को सुनने के बाद और रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्रियों को ध्यान से देखने के बाद, यहां यह उल्लेख करना उचित है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 73 में यह परिकल्पना की गई है कि; गिरफ्तारी का वारंट किसी भी अदालत द्वारा किसी भी व्यक्ति को निर्देशित किया जा सकता है जो अन्य बातों के साथ-साथ गैर-जमानती अपराध का आरोपी है और जो अपनी गिरफ्तारी से बच रहा है, लेकिन विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वितीय, पलामू द्वारा पारित दिनांक 22.02.019 के आदेश को देखने के बाद, जो इस आपराधिक विविध याचिका में विवादित है, इस न्यायालय ने पाया कि एक याचिका थी जो विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वितीय, पलामू के विचार के लिए लंबित थी ताकि याचिकाकर्ता की व्यक्तिगत उपस्थिति को उनके वकील द्वारा दायर किया जा सके। विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वितीय, पलामू ने न तो इसे खारिज कर दिया है और इसे खारिज किए बिना, याचिकाकर्ता की जमानत को रद्द कर दिया है, भले ही याचिकाकर्ता के लिए संबंधित अदालत में दिनांक 22.02.2019 पर शारीरिक रूप से उपस्थित रहने का कोई विशिष्ट निर्देश नहीं था।इसलिए, यह निश्चित रूप से विद्वान

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वितीय, पलामू द्वारा की गई विकृति है और ऐसा आदेश कानून में टिकाऊ नहीं है और इसे रद्द किया जा सकता है और दरकिनार किया जा सकता है।

8. तदनुसार, विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वितीय, पलामू द्वारा पारित दिनांक 22.02.2019 के आदेश को रद्द कर दिया जाता है और खारिज कर दिया जाता है।

9. जहाँ तक उक्त मामले में विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वितीय, पलामू द्वारा पारित दिनांक 17.06.2022 के आदेश का संबंध है, अब तक यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि जो अदालत दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के तहत घोषणा जारी करती है, उसे अपना संतोष दर्ज करना चाहिए कि जिस आरोपी के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिताकी धारा 82 के तहत घोषणा की गई है, वह फरार है या अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए खुद को छिपा रहा है और यदि न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के तहत घोषणा जारी करने का निर्णय लेता है, तो उसे उस आदेश में याचिकाकर्ता की उपस्थिति के लिए समय और स्थान का उल्लेख करना चाहिए जिसके द्वारा दंड प्रक्रिया संहिताकी धारा 82 के तहत घोषणा जारी की जाती है। जैसा कि पहले ही ऊपर संकेत दिया गया है कि विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वितीय के बाद से, पलामू ने न तो अपनी संतुष्टि दर्ज की है कि याचिकाकर्ता अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार है या खुद को छिपा रहा है और न ही याचिकाकर्ता की उपस्थिति के लिए कोई समय या स्थान निर्धारित किया है, इस न्यायालय को यह अभिनिर्धारित करने में कोई संकोच नहीं है कि विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वितीय, पलामू ने कानून की अनिवार्य आवश्यकताओं का पालन किए बिना दंड प्रक्रिया संहिताकी धारा 82 के तहत उक्त घोषणा जारी करके अवैधता की है। इसलिए, यह कानून में टिकाऊ नहीं है और इसलिए, इसे जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा और यह एक उपयुक्त मामला है जहां उक्त मामले में विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वितीय, पलामू द्वारा पारित दिनांक 17.06.2022 के आदेश को रद्द कर दिया जाए और खारिज कर दिया जाए।

10. तदनुसार, जी. आर. सं.83/2018 (2018 का एस. टी. सं.195/ 2018 के अनुरूप) पनकी थाना मामला सं.05/2018 के संबंध में विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश II, पलामू द्वारा पारित दिनांक 17.06.2022 आदेश को रद्द कर दिया जाता है और खारिज कर दिया जाता है।

11. जहाँ तक जी. आर. सं.83/2018 (एस. टी. सं.195/2018) के अनुरूप पंकी थाना मामला सं.05/2018 के संबंध में विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वितीय, पलामू द्वारा पारित दिनांक 03.02.2023 के आदेश का संबंध है, यहां यह उल्लेख करना उचित है कि कुर्क की जाने वाली संपत्ति के विवरण का उल्लेख किए बिना और कुर्की के इस तरह के आदेश को पारित करने की आवश्यकता के बारे में लिखित में कोई कारण दर्ज किए बिना याचिकाकर्ता की संपत्ति की कुर्की का आदेश कानून में टिकाऊ नहीं है। लेकिन जैसा कि पहले ही ऊपर संकेत दिया गया है, विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वितीय, पलामू ने कानून के अनिवार्य प्रावधान का पालन किए बिना याचिकाकर्ता की संपत्ति की कुर्की का आदेश जारी किया है।

इसलिए, इस न्यायालय को यह अभिनिर्धारित करने में कोई संकोच नहीं है कि जी. आर. सं.83/2018 (एस. टी. सं.195/2018) के अनुरूप पंकी थाना मामला सं.05/2018 के संबंध में विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सत्र न्यायाधीश-II, पलामू द्वारा पारित दिनांक 03.02.2023 आदेश भी जी. आर. सं.83/2018 (एस. टी. सं.195/2018) के अनुरूप नहीं है, यह भी कानून के अनुसार नहीं है और इसे जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा और यह एक उपयुक्त मामला है जहां इसे रद्द कर दिया जाए और खारिज कर दिया जाए।

12. इसलिए, जी. आर. सं.83/2018 (एस. टी. सं.195/2018) के अनुरूप 2018 के पंकी थाना मामला सं. 05/2018 के संबंध में विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश II, पलामू द्वारा पारित दिनांक 03.02.2023 को रद्द कर दिया जाता है और खारिज कर दिया जाता है।

13. तदनुसार, जी. आर. सं.83/2018 (एस. टी. सं.195/2018) के अनुरूप पंकी थाना मामला सं.05/2018 के संबंध में विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वितीय, पलामू द्वारा पारित किए गए सभी तीन ई-आदेशों को रद्द कर दिया जाता है और खारिज कर दिया जाता है।

14. परिणाम में, इस आपराधिक विविध याचिका की अनुमति है।

(अनिल कुमार सी. चौधरी)

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची
दिनांक 21 फरवरी, 2024)

यह अनुवाद संजय नारायण, पैनल अनुवादक द्वारा किया गया है|